महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

registrar.msduniversity.azamgarh@gmail.com

पत्रांकः /कु0का0/2024 दिनांक 13/12/2024

परीक्षा समिति की 27 वीं बैठक का कार्यवृत्त

माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक 10.12.2024 को अपराह्न 02.00 बजे विश्वविद्यालय परिसर में परीक्षा समिति की 27वीं बैठक आहूत की गयी। बैठक की उपस्थिति निम्नवत हैं–

क्र0सं0	नाम	संस्था का नाम	पद नाम	समिति दायित्व
1.	प्रो० प्रदीप कुमार शर्मा	महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ	कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० रशिका रियाज	डी०सी०एस० के पी०जी० कालेज, मऊ।	अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
3.	प्रो० मधुबाला राय	श्री दुर्गा जी पी. जी कालेज चण्डेश्वर, आजमगढ़।	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
4.	प्रो० असहद अहमद	शिब्ली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
5.	प्रो० बृजेश कुमार	श्री दुर्गा जी० पी०जी० कालेज चण्डेश्वर, आजमगढ़	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
6.	प्रो० एस. ताहिर हसन	शिब्ली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
7.	डा0 दिनेश कुमार तिवारी	डी०ए०वी० पी०जी० कालेज, आजमगढ़।	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
8.	प्रो० शर्वेश पाण्डेय	प्राचार्य, डी०सी०एस०के पी०जी० कालेज मऊ।	परीक्षा परामर्श समिति	विशेष आमंत्रित
9.	प्रो० ऋषिकेश सिंह	प्राचार्य, श्री कृष्णगीता राष्ट्रीय पी०जी० कालेज, लालगंज, आजमगढ़	परीक्षा परामर्श समिति	विशेष आमंत्रित
10.	डॉ० सर्वेश कुमार	श्री दुर्गा जी० पी०जी० कालेज चण्डेश्वर, आजमगढ़	असि0 प्रोफेसर	विशेष आमंत्रित
11.	श्री विशेश्वर प्रसाद	महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ	कुलसचिव	सचिव

मा0 कुलपति जी की अनुमति से परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव द्वारा बैठक प्रारम्भ की गई–

मद सं. 1– परीक्षा समिति की 26वीं बैठक दिनांक 26.09.2024 के कार्यवृत्त का सम्पुष्टीकरण।

निर्णय : परीक्षा समिति द्वारा 26वीं बैठक दिनांक 26.09.2024 के कार्यवृत्त का अवलोकन कर सर्वसम्मति से सम्पुष्टित किया गया।

मद सं. 2–परीक्षा समिति की बैठक में विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 02.12.2024 से विषम समेस्टर की संचालित परीक्षा के सम्बन्ध में विचार।

निर्णयः स्नातक/परास्नातक की विषम सेमेस्टर की परीक्षा दिनांक–02.12.2024 से प्रारम्भ हो गयी है। इसके लिए 16 नोडल केन्द्र के साथ 345 परीक्षा केन्द्र बनाये गये। विश्वविद्यालय से सम्बन्ध दोनो जनपद (मऊ एवं आजमगढ़) में परीक्षा नकल विहिन एवं सुचितापूर्ण सम्पन्न कराने हेतु दो सचलदल तथा दो पर्यवेक्षक दल बनाया गया हैं। साथ ही विश्वविद्यालय में आनलाइन मानिटरिंग हेतु कन्ट्रोल रूम भी बनाया गया हैं। परीक्षा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद सं.3–प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा में वाह्य परीक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय–

प्रायोगिक परीक्षा में वाह्य परीक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के संगत शासनादेशों में विषयों के प्रश्नपत्रों की प्रकृति सैद्धान्तिक, प्रायोगिक, स्किल टेस्ट आदि प्राविधानित है। कला एवं वाणिज्य संकाय (बी0बी0ए0 को छोड़कर) के स्नातक (पहले तीन वर्ष) के

समान न्यूनतम पाठ्यक्रमों में प्रायोगिक विषयों (भूगोल, मनोविज्ञान, ललित कला, संगीत, रक्षा अध्ययन व रणनीतिक अध्ययन, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान, शारीरिक शिक्षा) के अलावा गैर–प्रायोगिक विषयों जैसे राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य में भी प्रायोगिक प्रश्नपत्रों को अधिष्ठित किया गया है। जिनकी प्रायोगिक परीक्षाओं को वाह्य परीक्षकों से कराने में अधिक समय लगता है फलतः परिणाम घोषित करने में बिलम्ब होता है। इस आलोक में परीक्षा समिति ने कला संकाय के गैर–प्रायोगिक विषयों के प्रायोगिक प्रश्नपत्रों तथा वाणिज्य विषय के प्रायोगिक प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन आन्तरिक परीक्षक से कराने की पद्धति को अंगीकृत किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2024–25 से स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर में प्राविधानित रिसर्च प्रोजेक्ट जो चौथे सेमेस्टर के बाद गर्मियों के अवकाश में सम्पादित होगी, का मूल्यांकन, पहले से ही उक्त व्यवस्था से सम्पादित होना निर्णीत व विद्या परिषद् से अनुमोदित है।

उक्त के क्रम में, शैक्षणिक सत्र 2024–25 से कला संकाय के उक्त उल्लिखित प्रायोगिक विषयों (भूगोल, मनोविज्ञान, ललित कला, संगीत, रक्षा अध्ययन व रणनीतिक अध्ययन, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान, शारीरिक शिक्षा) को छोड़कर शेष समस्त गैर विषयों (राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र में यथा प्राविधानित प्रायोगिक मौखिकी प्रश्नपत्रों तथा वाणिज्य संकाय (बी०बी०ए० को छोड़कर) के प्रायोगिक मौखिकी प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन आंतरिक परीक्षकों से सम्पन्न करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ निर्णय लिया गया।

1. कला संकाय के गैर–प्रायोगिक विषयों वाणिज्य संकाय (स्नातक स्तर–पहले तीन वर्ष) के विषयों (बी०बी०ए० को छोड़कर) के विभिन्न सेमेस्टर में मौखिक/प्रायोगिक परीक्षा का मूल्यांकन आन्तरिक परीक्षक द्वारा किया जाय तथा अन्य सभी नियम सम्बन्धित विषयों के पाठ्यक्रम के अनुरूप ही रहेंगे।

2. आन्तरिक परीक्षक द्वारा किसी विद्यार्थी को 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्रदान करने की स्थिति में 85 प्रतिशत से ऊपर अंक प्रदान किये जाने के औचित्य को लिखित रूप से महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रति हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय को अवगत करायेगा। विश्वविद्यालय 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का पूनर्मूल्यांकन/पुनर्परीक्षण परीक्षण मंडल से कराने के लिए स्वतंत्र होगा।

3. महाविद्यालय में आन्तरिक परीक्षक (विषय विशेषज्ञ उपलब्ध न होने की दशा में महाविद्यालय अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय से विषय विशेषज्ञ परीक्षक नामित करने हेतु सूचित करेगा।

4. समस्त संकायो के समस्त विषयों स्नातक पहले से तीसरे वर्ष तक में जहाँ कहीं टूर का प्राविधान है का भी मूल्यांकन उक्त प्रक्रिया (आन्तरिक परीक्षकों) से सम्पादित की जानी है। सत्र 2024–25 से उक्त प्रक्रिया प्रारम्भ होने का निर्णय लिया गया है।

अन्य बिन्दु –

मद सं. 1. **प्रायोगिक/मौखिकी की परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय द्वारा लगाये गये परीक्षको के मोबाइल पर ओ०टी०पी० प्राप्त होने एवं सम्बंधित शिक्षक द्वारा ओ०टी०पी० लागिन करने के बाद ही, प्रायोगिक परीक्षा का फार्मेट खुलने की व्यवस्था किये जाने पर विचार।**

निर्णय–परीक्षा समिति द्वारा समुचित विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रायोगिक परीक्षा हेतु नामित परीक्षको के मोबाइल पर ओ०टी०पी० प्राप्त होने पर एवं परीक्षको द्वारा ओ०टी०पी० लागिन करने के बाद ही अंक भरा जायेगा।

कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक के धन्यवाद! प्रस्ताव के साथ बैठक सम्पन्न हुयी।

(विशेश्वर प्रसाद)
कुलसचिव एवं सचिव परीक्षा समिति

(प्रो० प्रदीप कुमार शर्मा)
कुलपति एवं अध्यक्ष–परीक्षा समिति